(23) (61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निग0 827–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला देवास प्रकरण क्रमांक 23/स्व. निगरानी/12–13.

रेखाबाई पति विष्णु कलोता
निवासी ग्राम अमरपुरा, कृषक ग्राम बिलावली
तह. व जिला देवास ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवास ——— अनावेदक

श्री दिनेश व्यास, अधिवक्ता, आवेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/2015 को पारित)

.....

यह निगरानी कलेक्टर, जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/स्व. निग./2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.11.13 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिलावली स्थित भूमि सर्वे नं. 508/1 रकबा 0.846 हैक्टर रामचन्द्र, मांगीलाल गंगाराम पिता काशीराम के नाम दर्ज है, जिसे पारिवारिक बटवारा अनुसार तहसीलदार द्वारा आवेदिका के नाम नामांतरण पंजी वर्ष 2010 की प्रविष्टि क्रमांक 76 दिनांक 10.3.11 आदेश दिनांक 19.4.11 द्वारा दर्ज किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आदेश के संबंध में कलेक्टर को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया कि तहसीलदार द्वारा सहखातेदार न होने के बावजूद अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये हैं तथा असमान हिस्से किये जाकर बटवारा किये जाने के आदेश दिनांक 19–4–11 को दिए गए हैं जो विधि के प्रावधानों के विपरीत हैं और इससे शासन को स्टाम्प ड्यूटी की हानि हुई है । उक्त आधार पर उन्होंने

संहिता की धारा 50 के तहत तहसील न्यायालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर पक्षकारों को कारण ताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा तहसलदार का आलोच्य आदेश दिनांक 19–4–11 निरस्त किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओरसे विद्वान अधिवकता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178, 109 एवं 110 के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रावयवेट पक्षकारों के बीच निराकृत प्रकरण को प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लेने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है । विधि में यह प्रावधान है कि अगर कोई प्रकरण प्रायवेट पक्षकारों के मध्य निराकृत होता है तो ऐसे प्रकरण को शासन स्वमेव निगरानी में नहीं ले सकता है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि संहिता की धारा 178 मेंहुए संशोधन अनुसार पारिवारिक विभाजन किया जा सकता है और ऐसे आदेश के विरूद्ध असंतुष्ट पक्षकार अपील कर सकता है । अपीलीय आदेश को शासन स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त नहीं कर सकता है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्याालय ने अवधि के बाहर जाकर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है । सहखातेदारों द्वारा कोई अपील निगरानी नहीं की गई है तथा वे विचारण न्यायालय के आदेश से संतुष्ट हैं इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार नहीं था ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का आधार यह दिया है कि प्रकरण में स्टाम्प डयूटी नहीं चुकाई गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि स्टाम्प डयूटी पंजीयन पर लागू होते हैं बंटवारे प्रकरण में स्टाम्प डयूटी देय नहीं है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस न्यायदृष्टांत का उल्लेख अपने आदेश में किया है वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि इस न्यायदृष्टांत में यह कहीं नहीं कहा गया है कि अगर प्रायवेट पक्षकारों के मध्य

पारिवारिक बंटवारा होता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवकता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में नामांतरण पंजी क्रं. 76 आदेश दिनांक 19.4.11 द्वारा तहसीलदार ने रामचन्द्र, मांगीलाल, गंगाराम के नाम अभिलिखित भूमि का बंटवारा रामचन्द्र तथा रेखाबाई पति विष्णु के नाम कर दिया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार ने बटवारा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया है । रेखाबाई का हित उक्त भूमि में कैसे आया यह स्पष्ट नहीं किया तथा मांगीलाल/गंगाराम के हितों का निपटारा कैसे हुआ यह भी स्पष्ट नही है । प्रथमदृष्टया यह भूमि का तीसरे पक्ष को अंतरण का प्रकरण स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है । ऐसी स्थिति में अवैधानिक आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है । अवैधानिक आदेश को कलेक्टर द्वारा कभी भी स्वमेव निगरानी में लेकर त्रुटि सुधार किया जा सकता है । इस संबंध में आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है ।

फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर